

कोर्ट फीस स्टाम्प
1/- रूपया

एफ-16
उपखण्ड

मूल निवासी आवेदन पत्र (शहरी क्षेत्र के लिए)

1. प्रार्थी का नाम
2. पुरुष या स्त्री
3. पिता/पति का नाम
4. स्थायी पता

5. पिता/पति का मूल
निवास स्थान
6. पिता/पति का व्यवसाय
एवं पता

7. जन्म स्थान
8. शैक्षणिक योग्यता
9. स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का
विवरण का मय स्थान या किराये
की सम्पत्ति का विवरण
10. राशन कार्ड जारी किये जाने का क्रम स०
एवं दिनांक
11. मतदाता सूची जिसमें स्वयं का
/पिता/पति का नाम है
वर्ष 1995 क्रमांक
2004 क्रमांक
12. में निवास की अवधि
13. यदि महिला है तो विवाहित/ अविवाहित
14. यदि विवाहित है तो विवाह का दिनांक
एवं पति का नाम
15. पति के मूल निवासी प्रमाण पत्र का क्रमांक
एवं दिनांक

मैं (प्रार्थी) प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण में जानकारी एवं विश्वास में सही है।
दिनांक :-

प्रार्थी के हस्ताक्षर

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करें।

1. शपथ पत्र 10/- रू के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/शपथ पत्र आयुक्त द्वारा प्रमाणित, जिसमें विवाहित/अविवाहित एवं अन्य जिले से मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं किया होने का उल्लेख होना आवश्यक है।
2. राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति।
3. मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति वर्ष 1995 एवं 2004 ।
4. पिछले 10 वर्ष के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति वर्षवार
5. दो राजपत्रित अधिकारी के प्रमाण पत्र
6. माता/पिता पति का कोटा शहर/ग्रामीण में निवास होने का प्रमाण पत्र ।
7. अशिक्षित होने की दशा में आयुक्त नगर निगम कोटा की रिपोर्ट ।
8. ग्रामीण क्षेत्रों के होने की दशा में तहसीलदार/नायब तहसीलदार की रिपोर्ट ।
9. सरकारी सेवा में होने पर मूल निवास का कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।

1. उक्त साक्ष्यों के अनुसार जारी किये जाने योग्य है।
2. आक्षेप पूर्ति किये जाने के कारण ।

1
2

हस्ताक्षर लिपिक

हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी